न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–104/2013
CIS NO. TS 440/2018

काशी यादव...वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
01.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.12.2018 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 06.12.2018 में कहा गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 01.05.2018 को सूची के साथ कागजातों को दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद के उचित न्याय निर्णय हेतु आवश्यक कागजात है। उपरोक्त आवेदन में वर्णित कागजात लोक दस्तावेज है, जिसे साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी की आवश्कता नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदन में वर्णित कागजात को प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित जाय। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 26.02.2019 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात समय से नहीं दिया गया है तथा दाखिल आवेदन कानून की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। विधि का	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–104/2013

CIS NO. TS 440/2018

काशी यादव..वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 01.05.2025	सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 06.12.2018 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 15.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	